

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1505 / 2013

संस्थित दिनांक:-10 / 12 / 2013

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,  
गोहद चौराहा जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. सुभाष शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा उम्र 25 वर्ष
2. रामलखन पुत्र गजराज प्रसाद समाधिया उम्र 58 वर्ष  
निवासीगण-ग्राम कन्हारी थाना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा- 25(1-बी)ए एवं 29 आयुध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपीगण द्वारा अधि० श्री अशोक पचौरी)

// निर्णय //

// आज दिनांक 17/01/2017 को घोषित किया //

आरोपी सुभाष पर दिनांक 07.07.13 को दोपहर 12:00 बजे पुराने रैम्प के पीछे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा में अपने आधिपत्य में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाली 12 बोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत तथा आरोपी रामलखन पर घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने स्वत्व व आधिपत्य की 12 बोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस यह जानते हुए कि सहआरोपी सुभाष उक्त आयुध को धारण करने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं रखता है सहआरोपी सुभाष को परिदत्त करने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.13 को सुबह भंवरपाल बंजारा नाम व्यक्ति ने थाना गोहद चौराहे में मारपीट की रिपोर्ट की थी जिस पर थाना गोहद चौराहे के ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर बंजारे के पुरा पर पहुंचे थे जहां जर्ज मुखबिर सुभाष पाण्डे को सूचना प्राप्त हुई थी कि चार व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए पहाड़ पर कोई गंभीर वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना की तत्पक्ष हेतु वह मय फोर्स बताये हुए स्थान पर पहुंचे थे तो चार आदमी जिनके हाथों में बंदूकें थीं पुलिस की गाड़ी को देखते ही चारों अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे थे तब ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे ने उनका पीछा करने हेतु फोर्स को विभाजित कर भेजा गया था। ए एस आई सुभाष पाण्डे द्वारा तलाशी लेने पर उसे रैम्प के पीछे एक व्यक्ति छिपा मिला

था जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सुभाष शर्मा बताया था। आरोपी के एक 12 बोर की एकनाली बंदूक जिस पर डब्ल्यू डब्ल्यू ग्रीनर मेकर पेटेण्ट नंबर 9463628- 35 अंकित था मिली थी। आरोपी के पास उक्त बंदूक रखने बावत लाइसेन्स नहीं था। उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से उक्त बंदूक जप्त कर तथा आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर ही जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी। बंदूक के बट के कवर पर दो जिंदा कारतूस भी लगे थे जिन्हें बंदूक के साथ जप्त किया गया था। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अपप0क0 166/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं आरोपी सुभाष से बंदूक का लाइसेन्स जप्त किया गया था उक्त बंदूक का अनुज्ञप्तिधारी रामलखन था अतः प्रकरण में रामलखन को भी आरोपी बनाया गया था। तथा विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या आरोपी सुभाष ने दिनांक 07.07.13 को 12:00 बजे पुराने रैम्प के पीछे डांग पहाड़ बंजारे का पुरा में अपने आधिपत्य में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 12 बोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?

2. क्या आरोपी रामलखन ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 12 बोर की बंदूक का अनुज्ञप्तिधारी होकर उक्त बंदूक को अनाधिकृत रूप से आरोपी सुभाष के आधिपत्य में दिया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा01, योगेन्द्रसिंह आ0सा02, आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03, भगवती शर्मा आ0सा04, रिषीकेश आ0सा05, प्र0आरक्षक बृजराज सिंह आ0सा06 एवं ए0एस0आई सुभाष पाण्डेय आ0सा07, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी रामलखन शर्मा वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है ।

### { निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

#### विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ए0एस0आई सुभाष पाण्डेय आ0सा07 जोकि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 07.07.13 को सुबह भंवर बंजारा नामक व्यक्ति ने थाने पर मारपीट की रिपोर्ट की थी जिसपर से वह मयफोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर बंजारे के पुरा पर पहुंचा था वहां उसे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि चार व्यक्ति हाथों में बंदूक लिए पहाड़ की ओर कोई गंभीर वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना की तत्पश्चात हेतु वहमयफोर्स मुखबिरके बताए स्थान पर पहुंचा था तो चारों व्यक्ति अलग-अलग दिशाओं की ओर भागने लगे थे जिनको फोर्स की मदद से पकड़ने का प्रयास किया गया था उसे एक व्यक्ति बंदूक के साथ पहाड़ पर रैम्प के पीछे छिपा मिला था जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुभाष बताया था। उसने आरोपी सुभाष के कब्जे से 12 बोर की एकनाली बंदूक जप्त की थी बंदूक में दो राउण्ड भी लगे थे। आरोपी के पास बंदूक एवं कारतूसरखने बावत लाइसेंस नहीं था उसने मौके पर ही आरोपी से बंदूक एवं कवर में लगे दो जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0प012

बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात वह आरोपी को मय माल थाने लेकर आया था उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वापिसी रोजनामचा सान्हा में इंद्राज की थी रोजनामचा सान्हा की प्रति प्र0पी010 है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-1 की बंदूक एवं ए-2 तथा ए-3 के कारतूस वही बंदूक एवं कारतूस हैं जो उसने घटना दिनांक को आरोपी के कब्जे से जप्त किए थे।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को करीब पौने 12 बजे रवाना हुआ था। किस वाहन से रवाना हुआ था वह आज नहीं बता सकता है। वह नहीं बता सकता कि उसके साथ कुल कितने लोग गए थे एवं व्यक्त किया है कि कुल 8-10 लोग थे वह उनके नाम नहीं बता सकता है। पद क्र05 में उक्त साक्षी का कहना है कि भगवती शर्मा उसके साथ नहीं गए थे वह नहीं बता सकता कि भगवती शर्मा ने कितने कागजों पर हस्ताक्षर किए थे एवं व्यक्त किया है कि जप्ती एवं गिरफ्तारी के कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे।

9. साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा01 भगवती शर्मा अ0सा04 द्वारा भी जप्तीकर्ता ए 0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा07 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को बंजारे के पुरा जाने तथा पहाड पर आरोपी से 12 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा01 ने गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी01 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 के क्रमशः ए से ए भाग पर तथा भगवती शर्मा अ0सा04 ने गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-1 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।

10. साक्षी रिषीकेश अ0सा05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी रामलखन को गिरफ्तार नहीं किया था एवं आरोपी सुभाष के मकान की कोई तलाशी नहीं ली थी। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी05 तथा तलाशी पंचनामा प्र0पी06 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटनाका समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

11. साक्षी योगेन्द्र सिंह अ0सा02 ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी03 को प्रमाणित किया है आरक्षक सुरेश दुबे अ0सा03 ने जप्तशुदा आयुध की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी04 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक बृजराज सिंह अ0सा06 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. आरोपीगण की ओर से बचाव के दौरान आरोपी रामलखन शर्मा ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 07.07.13 को जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में ए एस आई के पद परपदस्थ था। अखनूर आतंकवाद ग्रस्त इलाका है इसलिए वह अपने लाइसेंस शुदा शस्त्र को घर पर ग्राम कन्हारी में रखा था। उसे ड्यूटी के दौरान सूचना मिली थी कि पुलिस घर से बंदूक उठा ले गई है तो वह छुट्टी लेकर आया था। वह एसडीओपी से मिला था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी उसे व सुभाष को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा प्रकरण में अपराध क्र0 168/13 के अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है जो प्र0डी01 है। साक्षी भगवती प्रसाद के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी02 जप्ती पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी03 एवं गिरफ्तारी पंचनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी04 है।



14. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी सुभाष के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी योगेन्द्र सिंह आ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 30.08.13 को थाना गोहद चौराहा के प्र0आरक्षक बृजराजसिंह द्वारा थाने के अप0क्र0 166/13 की केस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम.सिबि चक्रवर्ती द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी सुभाष के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम. सिबि चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री एम.सिबि चक्रवर्ती के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

15. इस प्रकार योगेन्द्र कुशवाह आ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध केस डायरी सहित तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम.सिबि चक्रवर्ती के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री एम.सिबि चक्रवर्ती ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी सुभाष के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी सुभाष के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिअनुसार प्राप्त की गई थी।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 12 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहरर सुरेश दुबे आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 09.08.13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा के अप0क्र0 166/13 में जप्तशुदा 12 बोर की एकनाली गन एवं दो कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान उसने बंदूक का एक्शन चैक किया था बंदूक का एक्शन चालू हालत में था एवं बंदूक से फायर किया जा सकता था। दोनों कारतूस भी चालू हालत में थे उनसे भी फायर किया जा सकता था। उसके द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने शस्त्र को चलाकर नहीं देखा था एक्शन चालू हालत में था उससे फायर हो सकता था। एक्शन में सही बल था और फायर हो सकता था।

17. इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03 द्वारा यद्यपि यह बताया गया है कि उसने बंदूक एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा था परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उसने जप्तशुदा बंदूक का एक्शन चैक किया था तथा उसका एक्शन सही कार्य कर रहा था। उक्त साक्षी ने बंदूक चालू हालत में होना बताया है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में मात्र इस कारण कि आरक्षक सुरेश दुबे ने जप्तशुदा बंदूक एवं कारतूस से फायर करके नहीं देखा था यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त आयुध संचालनीय स्थिति में नहीं थे।

18. आरक्षक सुरेश दुबे आ0सा03 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने जप्तशुदा बंदूक एवं कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान बंदूक एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 12 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

19. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 12 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस आरोपी सुभाष ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ? उक्त संबंध में ए0एस0आई सुभाष पाण्डेय अ0सा07 जोकि जप्तीकर्ता है, ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह मय फोर्स ग्राम बंजारे के पुरा गया था जहां उसे मुखबिर द्वारा आरोपी सुभाष के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां उन्हें चार व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए हुए मिले थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें फोर्स की मदद से पकड़ा गया था उसने आरोपी सुभाष को पकड़ लिया था तथा उसने मौके पर ही आरोपी सुभाष से 12 बोर की एकनाली बंदूक एवं बंदूक में लगे दो कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 एवं आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-1 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह किस वाहन से घटना दिनांक को थाने से रवाना हुआ था तथा उसके साथ कौन-कौन लोग गए थे उनके नाम वह आज नहीं बता सकता है। तो यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि साक्षी सुभाष पाण्डेय अ0सा07 अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताने में असमर्थ रहा है कि वह किस वाहन से रवाना हुआ था एवं उसके साथ कौन कौन लोग गए थे परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 07.07.13 की है तथा जप्तीकर्ता ए एस आई सुभाष पाण्डेय अ0सा07 के कथन न्यायालय में दिनांक 30.10.17 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का लंबा अंतराल होने के कारण साक्षी की स्मृति क्षीण होना स्वाभाविक है एवं मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

20. ए0एस0आई सुभाष पाण्डेय अ0सा07 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने रवानगी के संबंध में रोजनामचे की नकल पेश नहीं की है तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोजनामचा का कॉलम 3 खाली है एवं रोजनामचा का इंद्राज उक्त कॉलम में नहीं किया गया है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से रोजनामचा वापिसी की कार्बन प्रति प्र0पी010 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा रवानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्र0पी010 की रोजनामचा वापिसी की कार्बन प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्य को चुनौतित नहीं किया गया है। आरोपीगण का ऐसा कहना नहीं है कि घटना दिनांक को ए एस आई सुभाष पाण्डेय मय फोर्स डांग पहाड बंजारे का पुरा नहीं गये थे। ऐसी स्थिति में मात्र रोजनामचा रवानगी सान्हा प्रस्तुत न होने से अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

21. साक्षी मनोज शुक्ला अ0सा01 द्वारा भी ए एस आई सुभाष पाण्डे अ0सा07 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को ए एस आई सुभाष पाण्डे के साथ बंजारे के पुरा जाने तथा पहाड पर आरोपी सुभाष से बंदूक एवं दो कारतूस जप्त करने बावत प्रकटीकरण किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जप्तशुदा शस्त्र मौके पर ही सील्ड किए गए थे व उस पर सील नमूना दरोगा जी ने लगाया थातथा उसने सील नमूना पर भी हस्ताक्षर किए थे तथायह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी02 के जप्ती पंचनामे में सील नमूना अंकित नहीं है। इस प्रकार आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि जप्तशुदा आयुध को मौके पर ही सील्ड किया गया थ परंतु जप्ती पंचनामा प्र0पी02 में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी02 में नमूना सील भी अंकित नहीं है परंतु उक्त त्रुटि प्रारूपित त्रुटि है एवं मात्र उक्त आधारपर संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।

22. साक्षी भगवती शर्मा अ0सा04 ने भी घटना दिनांक को उसके सामने आरोपी सुभाष से बंदूक एवं दो कारतूस दरोगा जीसुभाष पाण्डे द्वारा जप्त करना बताया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि जिस समय उसने प्र0पी01 एवं प्र0पी02 पर हस्ताक्षर किए थे उस समय अन्य किसी के हस्ताक्षर थे या नहीं तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि 12 बोरके बंदूक के बट एवं बैरलकी लंबाई कितनी थी बंदूक किस कंपनी की थी। यहां यह उल्लेखनीय

हे कि यद्यपि साक्षी भगवती शर्मा अ0सा04 जप्तशुदा आयुध की लंबाई बताने में असमर्थ रहा है एवं यह बताने में भी असमर्थ रहा है कि बंदूक किस कंपनी की थी परंतु उक्त तथ्य इतने तात्विक नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद माना जाए।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए एस आई सुभाष पाण्डे अ0सा07 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि भगवती शर्मा उसके साथ नहीं गए थे परंतु उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि साक्षी भगवती शर्मा जप्ती के समय मौके पर मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी के उक्त कथन का मात्र यही आशय निकलता है कि साक्षी भगवती शर्मा थाने से उसके साथ नहीं गए थे। साक्षी भगवती शर्मा अ0सा04 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को उसके सामने आरोपी सुभाष से बंदूक एवं कारतूस जप्त होना बताया है। ऐसी स्थिति में ए एस आई सुभाष पाण्डे अ0सा07 के मात्र उक्त कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

24. आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जप्तशुदा आयुध को मौके पर सील किया गया था जबकि भगवतीप्रसाद अ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि बंदूक एवं कारतूस को मौके पर सील नहीं किया गया था इस प्रकार उक्त बिंदु पर मनोज शुक्ला अ0सा01 एवं भगवती प्रसाद अ0सा04 के कथन किंचित विरोधाभासी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभास इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद मान लिया जाए।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि साक्षी भगवती प्रसाद शर्मा पुलिस का मुखबिर है एवं थाने पर ही रहता है तथावह 100-200 केंसों में गवाही दे चुका है। बचाव पक्ष की ओरसे उक्त संबंध में साक्षी भगवतीप्रसाद के प्रकरण क्र0 1652/13 में दिए गए कथनों की प्रति प्र0डी02 भी प्रकरणमें प्रस्तुत की गई है यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि साक्षी भगवती शर्मा द्वारा पूर्व में भी न्यायालय में गवाही दी गई है परंतु मात्र इस आधार पर साक्षी भगवती शर्मा के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में ए एस आई सुभाष पाण्डे अ.सा. 07 ने घटना दिनांक को मय फोर्स बंजारे के पुरा जाना तथा आरोपी सुभाष से पहाड पर 12 बोर की एकनाली बंदूक एवं दो कारतूस जप्त करना बताया है। आरक्षक मनोज शुक्ला अ.सा. 01 एवं भगवती प्रसाद अ.सा. 04 ने भी जप्तीकर्ता ए एस आई सुभाष पाण्डे अ.सा. 07 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी सुभाष से बंदूक एवं दो कारतूस जप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं।

27. यहाँ तक आरोपी सुभाष के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 का प्रश्न है तो प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा. 6 ने दिनांक 08.07.13 को आरोपी सुभाष शर्मा से पूछताछ कर प्र पी 07 का मेमोरेण्डम तैयार करना बताया है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त मेमोरेण्डम लेने के पूर्व ही आरोपी सुभाष से बंदूक एवं कारतूस की जप्ती हो चुकी थी एवं उक्त मेमोरेण्डम के अनुसरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी-7 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी-7 का मेमोरेण्डम आरोपी सुभाष से दिनांक 08.07.13 को लिया गया है एवं आरोपी सुभाष से जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 के अनुसार दिनांक 07.07.13 को ही 12 बोर की बन्दूक एवं कारतूस की जप्ती हो चुकी थी ऐसी स्थिति में प्र0पी-7 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं था एवं उक्त मेमोरेण्डम के कारण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

28. आरोपीगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि पुलिस ने बन्दूक आरोपी रामलखन शर्मा के घर से जप्त की थी। उक्त बिन्दु पर आरोपी रामलखन शर्मा ब.सा. 01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आरोपी रामलखन शर्मा ब.सा. 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है



कि घटना के समय वह जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में पदस्थ था तथा पुलिस उसके घर से बन्दूक उठा ले गयी थी। उसके गाँव के दो चार लोग उससे रंजिश रखते हैं एवं उनके कहने से उसके विरुद्ध झूठा मामला तैयार किया है परंतु आरोपीगण द्वारा लिये गये बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि पुलिस आरोपी रामलखन शर्मा के घर से बन्दूक उठा कर ले गयी थी। आरोपी रामलखन ब.सा. 01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे व सुभाष को प्रकरण में रंजिश झूठा फंसाया गया है। परंतु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य आरोपीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसकी पुलिस से कोई रंजिश थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से भी आरोपीगण एवं पुलिस के मध्य कोई रंजिश होना दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के आरोपी रामलखन ब.सा. 01 का यह कथन कि पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाया है विश्वसनीय नहीं है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा स्वयं को बचाने के लिए पुलिस पर असत्य लांछन लगाये जा रहे हैं।

29. आरोपी रामलखन ब0सा01 द्वारा प्रकरण में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दस्तावेज प्र0डी-1 लगायत प्र0डी-4 अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु उक्त सभी दस्तावेजों से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपीगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों से भी आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

30. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षियों को गवाह नहीं बनाया गया है। साक्षी भगवती शर्मा अ.सा. 04 भी पुलिस का ही मुखबिर है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों के कथन शेष हैं यह तथ्य अभियोजन द टना को संदेहास्पद बना देता है। परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में साक्षी भगवती प्रसाद अ.सा. 04 जो कि स्वतंत्र साक्षी है को पुलिस द्वारा जप्ती की कार्यवाही का साक्षी बनाया गया है। यद्यपि बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि साक्षी भगवती प्रसाद पुलिस का मुखबिर है। यदि यह मान भी लिया जाये कि आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों के कथन शेष हैं। तो भी प्रकरण में जप्तीकर्ता सुभाष पाण्डे अ.सा. 7, आरक्षक मनोज शुक्ला अ.सा. 01 एवं भगवती शर्मा अ.सा. 4 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं तो मात्र इस आधार पर पुलिस कर्मचारियों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नाथूसिंह वि0 म0प्र0 राज्य ए.आई.आर. 1973 सु.को. एस.सी. 2783 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पंच गवाहों के समर्थन न करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत काले बाबू वि0 म0प्र0राज्य 2008 (4) एम.पी.एच.टी.397 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अन्य साक्षीगण कहानी का समर्थन नहीं करते हैं मात्र इस कारण पुलिस अधिकारी की गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह वि0 दिल्ली एडमिस्ट्रेशन (2003)5 एस.सी.सी.297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह ही लेना चाहिए विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

31. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता सुभाष पाण्डे अ.सा. 7 ने घटना दिनांक को आरोपी सुभाष से 12 बोर की बन्दूक एवं दो कारतूस जप्त होना बताया है। आरक्षक मनोज शुक्ला अ.सा. 1 एवं भगवती प्रसाद अ.सा. 4 ने भी उक्त बिन्दु पर ए एस आई

सुभाष पाण्डे अ.सा. 7 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को आरोपी सुभाष से 12 बोर की बन्दूक एवं दो कारतूस जप्त किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 में भी आरोपी सुभाष से 12 बोर की एकनाली बन्दूक एवं दो कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता सुभाष पाण्डे अ.सा. 7, आरक्षक मनोज शुक्ला अ.सा. 01 एवं भगवती प्रसाद अ.सा. 4 के कथन की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी-2 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-1 से भी हो रही है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

32. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी सुभाष ने दिनांक 07.07.13 को 12.00 बजे पुराने रैम्प के पीछे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा में अपने आधिपत्य में एक 12 बोर की बन्दूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे।

### विचारणीय प्रश्न क0-2

33. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी रामलखन ने अपनी जप्तशुदा लाइसेन्सी बंदूक यह जानते हुए कि आरोपी सुभाष उक्त बंदूक को रखने का हकदार नहीं है, आरोपी सुभाष को परिदत्त की थी। उक्त संबंध में प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा. 06 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 09.07.13 को आरोपी सुभाष शर्मा के मकान से उसके द्वारा पेश किये जाने पर बन्दूक का लाइसेंस जप्त किया था जिसका जप्तीपंचनामा प्र पी 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 26.08.13 को आरोपी रामलखन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-5 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन आरोपी रामलखन को गिरफ्तार करने एवं लाइसेन्स जप्त करने के बिन्दु पर अखण्डित रहा है।

34. जप्ती पंचनाम प्र0पी0 8 के अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी सुभाष शर्मा से 12 बोर की बन्दूक का लाइसेन्स जप्त किया गया था एवं उक्त लाइसेंस आरोपी रामलखन शर्मा के नाम पर था। आरोपी रामलखन शर्मा अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि वह जप्तशुदा शत्र को ग्राम कन्हारी में रखता था क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में पदस्थ था तथा उक्त इलाका आंतकवाद ग्रस्त होने के कारण उसे बन्दूक रखने का आदेश नहीं था। परन्तु आरोपी की ओर से ऐसा कोई लिखित आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी रामलखन ब.सा. 01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी सुभाष से जप्ती पत्रक में वर्णित जो बन्दूक एवं लाइसेंस जप्त किया गया है वह लाइसेंस एवं बन्दूक उसकी है। यद्यपि उक्त आरोपी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि पुलिस बन्दूक एवं लाइसेंस उसके घर से उठा कर लायी थी। परन्तु उक्त लिये गये बचाव के संबंध में आरोपी की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः आरोपी रामलखन का यह कथन कि पुलिस बन्दूक एवं लाइसेंस उसके घर से उठा कर लायी थी स्वीकार योग्य नहीं है।

35. प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी सुभाष से 12 बोर की बन्दूक एवं दो कारतूस जप्त हुये थे। आरोपी रामलखन शर्मा ब.सा. 1 ने भी आरोपी सुभाष से जप्तशुदा बन्दूक एवं लाइसेंस उसका होना बताया है। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी रामलखन शर्मा जप्तशुदा 12 बोर की बन्दूक का अनुज्ञप्तिधारी था तथा उसके द्वारा लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन में जप्तशुदा 12 बोर की बन्दूक आरोपी सुभाष को जोकि जप्तशुदा बन्दूक कब्जे में लेने के लिए हकदार



नहीं था, को परिदत्त की गयी थी। आरोपी रामलखन ने आरोपी सुभाष को जप्तशुदा बन्दूक परिदत्त कर अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी रामलखन द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध किया गया है।

36. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी सुभाष ने दिनांक 07.07.13 को 12.00 बजे पुराने रैम्प के पीछे डांग पहाड़ बंजारे के पुरा में अपने आधिपत्य में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक 12बोर की बन्दूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे एवं आरोपी रामलखन ने ६ टना दिनांक समय व स्थान पर 12 बोर की बन्दूक का अनुज्ञप्तधारी होकर उक्त बन्दूक को यह जानते हुए कि सुभाष शर्मा उक्त बन्दूक को धारण करने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं रखता है आरोपी सुभाष शर्मा को परिदत्त की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सुभाष शर्मा को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत तथा आरोपी रामलखन शर्मा को आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

37. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

#### पुनश्च:-

38. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

39. आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी सुभाष द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना 12 बोर की बन्दूक एवं दो कारतूस अपने आधिपत्य में रखे गये हैं तथा आरोपी रामलखन द्वारा अनाधिकृत रूप से 12 बोर की बन्दूक सुभाष को परिदत्त की गयी है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी सुभाष शर्मा को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा आरोपी रामलखन को आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

40. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

41. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की बन्दूक एवं दो कारतूस पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्गीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

42. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में द.प्र.स. की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि

उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। प्रकरण में आरोपी सुभाष दिनांक 09.07.13 से दिनांक 15.07.13 तक न्यायिक निरोध में रहे है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाये जावें।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-17.01.18

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)